

प्रदेश में एकसोटकि मांगूर एवं बगि हेड मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ शासन, मछलीपालन विभाग द्वारा प्रदेश में एकसोटकि मांगूर (क्लेरयिस गेरीपनिस) एवं बगि हेड (हाइपोपथेलमकिथीस नोबीलीस) मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को प्रतिबंधित घोषित किया गया है।

प्रमुख बंदि

- राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन मछलियों का परिवहन, आयात एवं वपिणन भी प्रतिबंधित किया गया है।
- इन प्रतिबंधित मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तिक जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा।
- संचालक मछली पालन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संसोधन) अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- इन प्रतिबंधित मछलियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लपित पाए जाने पर दोष सिद्ध उपरान्त संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

